बिहार विधान-सभा वादवृत्त

[भाग-२ कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित]

बुधवार, तिथि ३ जनवरी, १९७९ ई०।

विषय—सूची

विषय		पृष्ठ
श्री ठाकुर प्रसाद मंत्री के खिलाफ दिये गये ज्ञापन के सम्बन्ध में चर्चा शून्य काल में चर्चाएं :	....	२-४
(क) प्राथमिक शिक्षक संघ की जायज मांग को मानना	....	४
(ख) युवकों के समक्ष पोस्टल आर्डर का अभाव	....	४-५
(ग) इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से अल्पसंख्यकों में चिन्ता		५
(घ) बछवाड़ा प्रखंड के समसाघाट पर नौका दुर्घटना	....	५-६
(ङ) लोगों को गलत ढंग से फँसाया जाना	....	६
(च) राज्य के तमाम प्राथमिक शिक्षकों में असंतोष	....	६
(छ) पुलिस के सहयोग से महाजनों द्वारा आदिवासियों पर जुल्म	....	६-७

उपाध्यक्ष —अब इस विधेयक को स्थगित किया जाय और इसके पहले कि : बिहार साइकिल रिक्शा (लाइसेंस विनियमन) विधेयक, १९७७ का प्रस्ताव मुव किया जाय, क्या माननीय सदस्या श्रीमती कृष्णा शाही, श्री टीकाराम मांझी और श्री राजो सिंह अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेना चाहते है ?

श्रीमती कृष्णा शाही—में वापस लेती हूँ ।

श्री टीका राम मांझी—मैं वापस लेता हूँ ।

श्री राजो सिंह—मैं भी अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

(सभा की राय से संसोधन वापस हुए ।)

उपाध्यक्ष —अब श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह प्रस्ताव मुव ।

विहार विधान सभा द्वारा यथापारित विहार साइकिल रिक्शा (लाइसेंस विनियमन) विधेयक, १९७७ (विधेयक सं० १३/७७) में बिहार विधान परिषद ठप्प किये गये संशोधन ।

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विधान सभा द्वारा यथापारित बिहार साइकिल रिक्शा (लाइसेंस विनियमन) विधेयक, १९७७ में बिहार विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधन को बिहार विधान सभा अस्वीकृत करती है तथा बिहार विधान सभा "बिहार साइकिल रिक्शा (लाइसेंस विनियमन) विधेयक, १९७७ को पुनः उसी रूप में पारित करती है जिसे विधान सभा ने दिनांक ५-१२-७७ को पारित किया था ।"

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार बिधान सभा द्वारा यथापारित "बिहार साइकिल रिक्शा (लाइसेन्स विनियमन) विधेयक, १९७७" में बिहार विधान परिषद द्वारा किये गये संसोधन को बिहार विधान सभा अस्वीकृत करती है तथा बिहार विधान सभा "बिहार साइकिल रिक्शा (लाइसेंस विनियमन) विधेयक, १९७७" को पुनः उसी रूप में पारित करती है जिसे विधान सभा ने दिनांक ५-१२-७७ को पारित किया था ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विधान परिषद में उदभूत तथा उसके द्वारा यथापारित मोटरगाड़ी (बिहार संशोधन) विधेयक, १९७७ ।

श्री लालमुनी चौबे— यह विधेयक विधान परिषद से स्वीकृत कर के यहाँ भेजा गया है, तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष – ऐसा बराबर होता है।

उपाध्यक्ष —माननीय मंत्री महोदय ने खंड (३) को वापिस लिया है, मुव नहीं करते हैं।

श्री रघुनाथ झा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक के खंड ३ के अधीन प्रस्तावित धारा ४३ क की उप धारा (२) की पंक्ति चार में शब्द 'कल्याण' के वाद शब्द' या उन्नय' जोड़े जाय ।"

श्री सियाराम यादव —उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"विधेयक के खड ३ के अधीन प्रस्तावित धारा ४३-क की उप धारा (२) की पंक्ति सात में शब्द "प्राथमिकता" के स्थान पर शब्द आरक्षण रखा जाय ।"

श्री टीकाराम मांझी —उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"विधेयक के खड ३के अधीन प्रस्तावित धारा ४३-क की उप धारा (२) की पंक्ति सात एवं आठ में शब्द 'देने के निमित समीचीन समझे' के स्थान पर शब्द' निश्चित रूप से दे रखे जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन देने का मतलब है कि पिछड़ी जाति की आरक्षण निश्चित रूप से दिया जाय और यह संशोधन मान लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष —प्रश्न यह है कि:

"विधेयक के खण्ड ३ के अधीन प्रस्तावितधारा ४३-क की उपधारा (१) की पंक्ति छः में शब्द "सम्बन्ध में" के बाद शब्द "किसी समय" जोड़े जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

"विधेयक खण्ड ३ के अधीन प्रस्तावित धारा ४३-क की उप धारा (१) की पंक्ति छः में शब्द "ऐसा" के वाद शब्द "विहित" जोड़ा जाय।'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष —प्रश्न यह है कि :

"विधेयक के खण्ड ३ के अधीन प्रस्तावित धारा ४३-क की उप : धारा (१) की पंक्ति छः में शब्द "और" के बाद शब्द "उचित" जोड़ा जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

चार बजग या है। अब यहीं हम इसको रोक देते हैं। अच्छा होता कि अगली तिथि को इसका स्पष्टीकरण करके इसको लिया जाता।

सदन में 'हाँ' 'हाँ' की आवाज

——

निवेदन।

उपाध्यक्ष —२८ निवेदन हैं। यदि सभा की अनुमति हो तो इसे विभाग में भेज दिया जाय।

(सदन में आवाज भेज दिया जाय)

सभा शुक्रवार, तिथि ५ जनवरी, १९७९ के ११ बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गयी।

जितेन्द्र नारायण सिंह,
सचिव,
बिहार विधानसभा

पटना :
तिथि ३ जनवरी, १९७९ ई०।